कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक......................./जिला विधि,
[VIII-16/2007-13]
दिनांक 08.2013

फोन नं. :– 06456–222530, 222535
फैक्स नं. :– 06456–222626, 225480
ई–मेल :– dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :– **आदित्य कुमार दास,** भा.प्र.से.,
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, किशनगंज।
निदेशक, एन.ई.पी., किशनगंज।
निदेशक, डी.आर.डी.ए., किशनगंज।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला।
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, किशनगंज जिला।
लोक अभियोजक/सरकारी वकील, किशनगंज।

विषय :– **किशनगंज जिलान्तर्गत में दिनांक 31.08.2013 को आयोजित होने वाले "विशेष लोक अदालत" के संबंध में।**

महाशय,

विषयान्तर्गत विज्ञ अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पत्रांक 561–576 एवं 577–589, दोनों दिनांक 07.08.2013 द्वारा किशनगंज जिला में **दिनांक 31.08.2013 को 11.00 बजे व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज में "विशेष लोक अदालत"** के आयोजन की सूचना प्राप्त है, जिसमें मनरेगा से संबंधित विवादों/वादों का निष्पादन किया जाना है।

अतः निदेश है कि निर्धारित कार्यक्रम में मनरेगा से संबंधित विवादों/वादों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, **संबंधित वादों के निष्पादन से संबंधित सूची** जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज को निर्धारित तिथि **दिनांक 16.08.2013 तक** उपलब्ध कराते हुए एतद् विषयक सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने–अपने क्षेत्रों में इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार भी करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, मुखिया को भी एतद् विषयक कार्यक्रम से अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, किशनगंज उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तद्नुसार आवश्यक सभी कार्यवाहियाँ करते हुए अनुश्रवण भी करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह./–
(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।

ज्ञापांक ......446....../जि.विधि, किशनगंज, दिनांक ......14.......08.2013.

प्रतिलिपि :– विज्ञ अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज को उनके पत्रांक 561–576 एवं 577–589, दोनों दिनांक 07.08.2013 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहत प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को मेल से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/13

(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।